दूरसंचार अधिनियम, 2023 के परिवर्तनकारी प्रभाव

यह एडिटोरियल 12/01/2024 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "Open Up The Playing Field" लेख पर आधारित है। इसमें दूरसंचार अधिनियम, 2023 के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, साथ ही अधिनियम में अंतर्निहित विभिन्न मुद्दों की संवीक्षा की गई है और सुधार के लिये रचनात्मक सुझाव दिया गया है।

प्रिलिम्स के लिये:

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, दूरसंचार सेवाएँ, दूरसंचार अधिनियम, 2023, TRAI, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, डिजिटल भारत निधि, प्रधानमंत्री Wi-Fi एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, भारतनेट परियोजना, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना, डिजिटल इंडिया पहल।

मेन्स के लिये:

दूरसंचार अधिनियम, 2023 के उपरांत भारत में दूरसंचार क्षेत्र की स्थिति।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) के अनुसार, भारत जुलाई 2022 तक 85.11% के टेली घनत्व के साथ दुनिया के दूसरे सबसे बड़े दूरसंचार बाज़ार के रूप में उभर चुका है। देश की बढ़ती इंटरनेट और ब्रॉडबैंड पहुँच डिजिटल इंडिया पहल का समर्थन करती है और यह 5G की दौड़ में भी शामिल हो चुका है।

दिसंबर 2023 में बहुप्रतीक्षित दूरसंचार अधिनियम, 2023 लागू किया गया, जिसमें आवश्यक मोबाइल नेटवर्क को साइबर खतरों और अनधिकृत पहुँच से बचाने के लिये एक सुदृढ़ सुरक्षा ढाँचे के विकास को प्राथमिकता दी गई है।

भारत में दूरसंचार का इतिहास क्या है?

- **ऐतिहासिक रूपरेखा (1885-2023):**
  - भारतीय दूरसंचार क्षेत्र, जिसे भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, **भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार (ग़ैर-कानूनी कब्ज़ा) अधिनियम 1950 के रूप में तीन कानूनों द्वारा आकार दिया गया,** एक परिवर्तनकारी कानूनी विकास से होकर गुज़रा है।
    - टेलीग्राफ तार के ग़ैर-कानूनी कब्जे से संबंधित 1950 के अधिनियम को हाल ही में नियामक अनुकूलनशीलता पर बल देते हुए **निरसन एवं संशोधन अधिनियम 2023** द्वारा निरस्त कर दिया गया।
- **नियामक प्राधिकरण:**
  - टैरिफ विनियमन में सहायक रहे ट्राई अधिनियम 1997 ने ट्राई (TRAI) और दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) दोनों की स्थापना की।
  - हालाँकि, लाइसेंसिंग प्राधिकार को केंद्र सरकार में निहित बनाये रखा गया है।
- **1885 का अधिनियम और प्रौद्योगिकीय विकास:**
  - मूल रूप से टेलीग्राम सेवाओं को नियंत्रित करने वाला टेलीग्राफ अधिनियम 1885, जो आश्चर्यजनक रूप से प्रत्यास्थी रहा, वर्ष 2013 में टेलीग्राफ युग की समाप्ति तक बना रहा।
  - जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी उन्नत हुई, टेक्स्ट, वॉयस, इमेज और वीडियो के वास्तविक समय प्रसारण को शामिल करते हुए 1885 के **पूर्व के अधिनियम ने आधुनिक दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना जारी रखा।**

दूरसंचार अधिनियम 2023 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- **प्राधिकरण और लाइसेंसिंग आवश्यकताएँ:**
  - दूरसंचार सेवाइ प्रदान करने या दूरसंचार नेटवर्क संचालित करने के लिये **केंद्र सरकार से पूर्व प्राधिकरण अनिवार्य है।**
  - मौजूदा लाइसेंस उनकी **अनुमत अवधि या पाँच वर्ष तक वैध बने रहते हैं।**
- **स्पेक्ट्रम आवंटन और उपयोग:**

- राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और उपग्रह सेवाओं जैसे विशिष्ट उद्देश्यों को छोड़कर, **स्पेक्ट्रम को नीलामी के माध्यम से सौंपा जाएगा।**
- सरकार के पास फ्रीक्वेंसी रेंज का पुन: उपयोग करने का अधिकार है और वह स्पेक्ट्रम **शेयरिंग, ट्रेडिंग, लीजिंग और सरेंडर की अनुमति देती है।**

▪ **सैटेलाइट इंटरनेट प्रावधान:**
  - विधान ने वन वेब (OneWeb) और [स्पेसएक्स के स्टारलिंक] जैसे **उपग्रह इंटरनेट प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटित करने के प्रावधान पेश किये,** जबकि उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिये वन वेब और जियो (Jio) को पहले से ही सक्रिय प्राधिकरण प्रदान किया जा चुका है।

▪ **निगरानी और निलंबन शक्तियाँ:**
  - सरकार के पास सार्वजनिक सुरक्षा या आपातकाल से संबंधित निर्दिष्ट आधारों पर **संदेशों को रोकने, उनकी निगरानी करने या ब्लॉक करने की शक्ति है।**
  - सार्वजनिक आपात स्थिति के दौरान दूरसंचार सेवाओं को निलंबित किया जा सकता है और **बुनियादी ढाँचे पर अस्थायी कब्ज़ा किया जा सकता है।**

▪ **विनियमन और मानक:**
  - केंद्र सरकार **दूरसंचार उपकरण और अवसंरचना के लिये मानक निर्धारित कर सकती है।**
  - यह अधिनियम ट्राई अधिनियम 1997 में भी संशोधन करता है और केवल अनुभवी व्यक्तियों को ही अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देता है।
    - इसमें कहा गया है कि **अध्यक्ष के पास कम से कम तीस वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिये** और उसने निदेशक मंडल के सदस्य या किसी कंपनी के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य किया हो।
      - ट्राई अध्यक्ष के पास दूरसंचार, उद्योग, वित्त, कानून, लेखा, प्रबंधन या उपभोक्ता मामलों में पेशेवर अनुभव होना चाहिये।
    - इसी तरह, यह ट्राई सदस्यों की नियुक्ति के मानदंडों में भी बदलाव करता है, जहाँ कहा गया है कि **एक सदस्य के पास कम से कम पच्चीस वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिये** और उसने किसी कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य या मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य किया हो।
      - इससे पता चलता है कि ट्राई के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अब निजी क्षेत्र से की जा सकती है।

▪ **डिजिटल भारत निधि और ओटीटी सेवाएँ:**
  - [यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF)] को **डिजिटल भारत निधि के रूप में बनाये रखा गया है,** जहाँ अनुसंधान और विकास के लिये इसका उपयोग किया जा सकता है।
  - [ओवर-द-टॉप (OTT)] सेवाओं को दूरसंचार अधिनियम से बाहर रखा गया है और उनका विनियमन संभावित [डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023] के अंतर्गत आता है।

▪ **कानूनी अपराध और दंड:**
  - विधेयक आपराधिक और नागरिक अपराधों को निर्दिष्ट करता है, जिसमें **दूरसंचार सेवाओं के अनधिकृत प्रावधान और शर्तों का उल्लंघन** शामिल है।
  - दंड के अंतर्गत **जुर्माने से लेकर कारावास तक** शामिल है और अधिनिर्णय निर्दिष्ट अधिकारियों एवं समितियों द्वारा की जाती है।

▪ **राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय:**
  - **वर्ष 2020 के भारत-चीन सीमा संघर्ष** के बाद आरंभिक रूप से स्थापित प्रावधानों को कानून में एकीकृत किया गया है, जो **संभावित रूप से प्रतिकूल देशों से दूरसंचार उपकरणों के आयात को रोकने के उपायों पर बल** देता है।

//

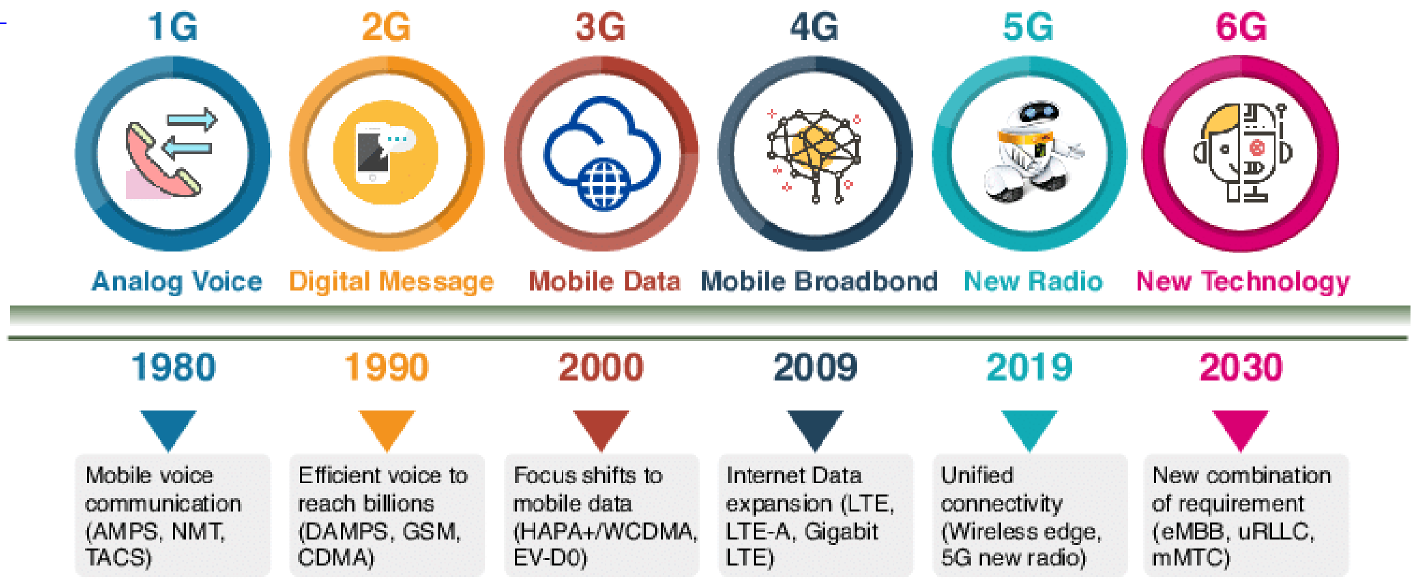

दूरसंचार अधिनियम 2023 के गुण और दोष कौन-से हैं?

- **गुण:**
  - **नए प्रतमानों की ओर बदलाव:** दूरसंचार अधनियिम 2023 पछिले अधनियिमों से एक उल्लेखनीय प्रस्थान का प्रतीक है जन्हिें अब मानव-मानव, मानव-मशीन और **मशीन-मशीन संचार के वकिसति परदृिश्य को समायोजति करने के लयि प्रतस्थिापति कयिा गया है।**
  - **वभिन्नि संचार प्रौद्योगकियिों का नेवगिेशन:** यह अधनियिम संचार प्रौद्योगकियिों की पीढ़यिों को नेवगिेट करने के लयि तैयार है, जसिमें वॉयस कॉल, मैसेजगि, वीडयिो कॉल, वयिरेबल्स और **इंडस्ट्री 4.0** जैसे नवाचार शामलि हैं।
    - संचार के भवषि्य में **AI, IoT और क्वांटम कंप्यूटगि** जैसी कंप्यूटगि एवं प्रौद्योगकियिों का अवभिाज्य एकीकरण अपेक्षति है।
  - **आगे की ओर कदम:** दो महत्त्वपूर्ण और संभवतः नज़रअंदाज कयिे गए उद्देश्यों पर बल दयिा गया है, जो हैं**प्रतस्पिर्द्धा को बढ़ावा देना** और ऋण-ग्रस्त उद्योग में अवसंरचना के उन्नयन के लयि संसाधन जुटाना।
  - **स्पेक्ट्रम उपयोग में प्रौद्योगकिीय तटस्थता:** अधनियिम उचति रूप से स्पेक्ट्रम उपयोग में प्रौद्योगकिीय तटस्थता की वकालत करता है, जहाँ यह स्वीकार कयिा गया है कि दूरसंचार सेवाओं को अब प्रौद्योगकिी प्रकार द्वारा परभिाषति नहीं कयिा जा सकता।
    - नष्पिक्ष प्रतस्पिर्द्धा को प्रोत्साहति करने के लयि, **बाज़ार के नए प्रवेशकों के पास वाणज्यिकि शर्तों पर बुनयिादी ढाँचे तक गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-वशिष्टि पहुँच** होनी चाहयि।
  - **डजिटिल प्रौद्योगकियिों के लयि नयिामक अभसिरण:** एक एकीकृत दृष्टकिोण के साथ, यह **अधनियिम नयिामक अभसिरण के महत्त्व पर बल देते हुए दूरसंचार और इंटरनेट के अभसिरण को संबोधति** करता है।
    - एकीकृत सेवाओं पर खंडति नरिीक्षण की चुनौती को स्वीकार कयिा गया है, जसिसे अलग-अलग लाइसेंस और प्रशासनकि वभिागों की प्रभावकारतिा पर सवाल उठते हैं।
- **अवगुण:**
  - **ववादति प्रावधान और गोपनीयता संबंधी चतिाएँ:** अधनियिम सुरक्षा मानकों और आपात स्थतियिों के दौरान सरकार को सशक्त बनाने वाले ववादति प्रावधानों, जो संभावति रूप से सीमति जवाबदेही के साथ नागरकि नजिता का उल्लंघन करते हैं, से संबंधति चतिाओं को संबोधति करने में वफिल रहता है।
    - **नजिता के साथ सुरक्षा को संतुलति करना शासकीय अधकिारयिों के लयि एक महत्त्वपूर्ण** वचिारार्थ वषिय बन जाता है।
  - **5G/6G कार्यान्वयन में चुनौतयिाँ:** भारत को 5G अंगीकरण में चुनौतयिों का सामना करना पड़ रहा है, जसिमें अनाकर्षक उपयोग के मामले, खराब मुद्रीकरण और अपर्याप्त अवसंरचना नवशि शामलि हैं।
    - वर्ष 2023-24 के बाद पूंजीगत व्यय में पर्याप्त कटौती के लयि रलियांस जयिो और भारती एयरटेल की प्रतबिद्धता चतिा पैदा करती है।
    - अधनियिम में समयबद्ध तरीके से **5G और 6G अवसंरचना** को बढ़ावा देने के लयि एक वशिष्टि दृष्टकिोण का अभाव है।

भारत में दूरसंचार क्षेत्र में सुधार के लयि कौन-से कदम उठाये जा सकते हैं?

- **नयिामक उपाय के रूप में कार्यात्मक पृथक्करण:**
  - अधनियिम में कार्यात्मक पृथक्करण की अवधारणा को शामलि कयिा जाना चाहयि, जैसा कि बाज़ार एकाग्रता को संबोधति करने के लयि **अंतर्राष्ट्रीय नयिमों में देखा जाता है।**
    - **स्वीडन, यूके, ऑस्ट्रेलयिा, आयरलैंड और पोलैंड के उदाहरण** इसके उपयोग को दर्शाते हैं, लेकनि नम्नि नवशि और नवाचार के लयि असंगत उपायों को रोकने के लयि सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
- **स्वैच्छकि संक्रमण और उद्योग वन्यिास:**
  - नम्नि कराधान या राजकोषीय लाभ से प्रोत्साहति **स्वैच्छकि संक्रमण अधकि प्रभावी दृष्टकिोण प्रदान करते हैं,** जैसा कि इटली में देखा गया है।
    - अपेक्षाओं में पूरी तरह से एकीकृत टेलीकॉम से लेकर नेटवर्क एग्रीगेटर्स और प्योर-प्ले सेवा प्रदाताओं तक उद्योग वन्यिास का एक स्पेक्ट्रम शामलि है।
- **वायरलाइन आधारति संरचना की ओर संक्रमण:**
  - वायरलाइन आधारति संरचना 5G/6G स्पीड देने में कहीं अधकि सक्षम है। भारत को उच्च गुणवत्ता वाले डजिटिल अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लयि **वायरलेस से वायरलाइन आधारति संरचना की ओर आगे बढ़ना चाहयि।**
    - **'राईट ऑफ वे'** पर अधनियिम का बल इस आवश्यकता को चहि्नति करता है, जो वशिेष रूप से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लयि फाइबर अवसंरचना में नवशि के माध्यम से लागत कम करने के लयि एक सक्षम कारोबारी माहौल की मांग करता है।
- **सरकार का योगदान और संसाधन सृजन:**
  - सरकार को **USOF के माध्यम से ग्रामीण और गैर-ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना के नरि्माण के लयि स्पष्ट लक्ष्य नर्धिारति करने चाहयि।**
    - फाइबर अवसंरचना को बढ़ावा देने के लयि संसाधन सृजन और नजिी क्षेत्र के नवशि के लयि प्रतस्पिर्द्धी अवसर का होना महत्त्वपूर्ण हैं।
- **भवषि्य के लयि एकीकृत दृष्टकिोण:**
  - यह अधनियिम एक एकीकृत दृष्टकिोण के महत्त्व के साथ पूर्ण होता है, जसिमें वभिन्नि वभिागों के बीच लाइसेंसगि, मानकों, कौशल और शासन में तालमेल पर बल दयिा गया है।
    - इस **समग्र दृष्टकिोण को भारत की डजिटिल क्रांतिके लयि आवश्यक माना जाता है,** जो दूरसंचार उद्योग को नरिंतर वकिास में अग्रणी मोर्चे पर रखता है।

संबंधति सरकारी पहल

- प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI)

- भारतनेट परियोजना
- प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI)
- भारत 6G एलायंस

निष्कर्ष:

भारत के दूरसंचार क्षेत्र का चल रहा विस्तार देश के डिजिटल रूपांतरण में एक महत्त्वपूर्ण तत्व है।**दूरसंचार अधिनियम 2023 के प्रमुख उद्देश्यों में सेवाओं में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना, फाइबर-आधारित नेटवर्क में बदलाव को प्रोत्साहित करना और तकनीकी गतिशीलता को बढ़ावा देना शामिल है।** इन प्रयासों का उद्देश्य दूरसंचार में एक नए युग की शुरुआत करना है। इसमें अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरने के बजाय ठोस प्रगति हासिल करने पर बल दिया गया है।

अभ्यास प्रश्न: दूरसंचार अधिनियम, 2023 ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र की वृद्धि और गतिशीलता को किस प्रकार प्रभावित किया है? डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका पर बल देते हुए संबंधित चुनौतियों एवं संभावित परिणामों की चर्चा कीजिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. भारत में निम्नलिखित में से कौन दूरसंचार, बीमा, बिजली आदि क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों की समीक्षा करता है? (2019)

1. संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियाँ
2. संसदीय विभाग से संबंधित स्थायी समितियाँ
3. वित्त आयोग
4. वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग
5. नीति आयोग

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 3, 4 और 5
(d) केवल 2 और 5

उत्तर: a

प्रश्न. भारत में 'पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर' पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? (2020)

(a) डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना
(b) खाद्य सुरक्षा अवसंरचना
(c) स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना
(d) दूरसंचार और परिवहन आधारभूत संरचना

उत्तर: A

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारत सरकार के 'डिजिटल इंडिया' योजना का/के उद्देश्य है/हैं? (2018)

1. भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन, जैसा कि चीन ने किया।
2. एक नीतिगत ढाँचे की स्थापना जिससे बड़े आँकड़े एकत्रित करने वाली समुद्रपारीय बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें।
3. हमारे अनेक गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाई-फाई की सुविधा प्रदान करना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3
(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/transformative-impacts-of-telecommunications-act-2023